न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1623

1. मुकारब खॉ पुत्र धानु खॉ जाति कायमखानी मुसलमान निवासी ग्राम दिलोई तहसील बिसाउ, जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।

— अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार, तहसील बिसाउ, जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।

— रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं ने मुकदमा संख्या 99/2025 निर्णय दिनांक 03.07.2025 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम उनवान सरकार जरिये तहसीलदार बिसाउ बनाम ग्राम वासी. रास्ते सम्बन्धी प्रकरण के विरूद्व पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री हरलाल सिंह, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 28.11.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 03.07.2025 के खिलाफ प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 26.08.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार बिसाउ द्वारा दिनांक 30.06.2025 को पटवार मण्डल दिलोई के राजस्व ग्राम दिलोई का प्रचलित एवं डोटेड रास्ता जो खसरा नम्बर 116, 110, 107, 134, 105, 134/348, 106, 97, 59, 60, 51, 52, 55, 56, 57, 68 में स्थित है। यह रास्ता ग्राम दिलोई में आबादी भूमि से पूरीयान की सीमा तक जाता है। इस रास्ते को सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में रास्ते हेतु उपयोग में आ रही भूमि को राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.(3) राज–6/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार के जारी परिपत्र क्रमांकः राजस्व (ग्रुप) 4 (10) राज–6/2024/08 जयपुर दिनांक 04.04.2025 की पालना में तहसीलदार बिसाउ जिला झुन्झुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 30.06.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिसाउ को आदेशित किया गया कि वे पटवार मण्डल दिलोई के राजस्व ग्राम दिलोई के खसरा नम्बर 116 रकबा 0.03 है0, 110 रकबा 0.005 है0, 107 रकबा 0.07 है0, 134 रकबा 0.005 है0, 105 रकबा 0.03 है0, 134/348 रकबा 0.015 है0, 106 रकबा 0.05 है0, 97 रकबा 0.05 है0, 59 रकबा 0.03 है0, 60 रकबा 0.05 है0, 51 रकबा 0.02 है0, 52 रकबा 0.11 है0, 55 रकबा 0.01 है0, 56 रकबा 0.005 है0, 57 रकबा 0.05 है0, 68 रकबा 0.17 है0 में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद न होने एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो उसे हटवाकर किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज करें। पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रहेगा। उपरोक्त भूमि की खातेदारी पूर्ववत्त खातेदारों के ही नाम रहेगी। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2025 पारित किये गये है।

3. उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 03.07.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट मुकारब खॉ पुत्र धानु खॉ द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं दिनांक 03.07.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय नियम व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध तब तक कोई न्यायिक अथवा अर्द्ध न्यायिक आदेश पारित नही किया जा सकता जब तक कि उसे सुनवाई हेतु अवसर प्रदान नही किया जाता। मौजूदा प्रकरण में अपीलांट भूमि खसरा नम्बर 107 रकबा 2.5700 हैक्टयर, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.1800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.5200 हैक्टयर राजस्व ग्राम दिलोई के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में उसका नाम अंकित है, भूमि पर उसका कब्जा है तथा भूमि का वो उपयोग उपभोग करता है। लेकिन इसके बावजूद तहसीलदार बिसाउ (राज०) ने बिना किसी आधार के बिना कोई रास्ता हुए कुछ व्यक्तियों को नाजायज फायदा पहुँचाने के लिये मिलीभगत कर रंजिश पूर्वक कार्यवाही करवाई की है। उक्त तथ्य पर उपखण्ड अधिकारी ने कोई ध्यान नही दिया और अपीलांट की भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश प्रदान कर दिये जो प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत होने से निर्णय निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी मण्डावा द्वारा अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 116 के सबंध मे पूर्व में प्रकरण सं0 98/2024 दर्ज किया था जिसमें अपीलार्थी द्वारा रास्ते के सबंध में आपत्ति दर्ज करवाई थी तथा उपखण्ड अधिकारी मण्डावा के विरूद्ध राजस्व मण्डल राजस्थाम अजमेर (राज०) के समक्ष मुन्तिकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो वर्तमान में भी विचाराधीन है तथा उसके बावजूद उक्त तथ्य को छिपाकर तहसीलदार से पुनः दूसरी रिपोर्ट मंगवाकर अपीलार्थी की खसरा नम्बर 116 की भूमि के साथ खसरा नम्बर 110 व 107 की भूमि को सम्मिलित करते हुए पुनः प्रकरण सं० 99/2025 दर्ज करते हुए दिनांक 03.07.2025 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जिससे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा की बदनियती स्पष्ट झलकती है। इसलिये भी अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि तहसीलदार बिसाउ (राज०) द्वारा जो रिपोर्ट उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी वो किसी विधिक आधार पर आधारित नही थी बल्कि पडौसी खातेदारों के दबाव व प्रभाव में आकर झूठी रिपोर्ट तहसीलदार से बनवाई गई थी तथा प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्तियों ने अपने प्रभाव का उपयोग कर उपखण्ड अधिकारी से अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जबकि मौके पर अपीलार्थी की भूमि में से कभी कोई रास्ता नही रहा है तथा ना ही कभी मौके पर कायम अपीलार्थी की उपरोक्त भूमि में रास्ता है तथा जहाँ उपखण्ड अधिकारी द्वारा उपरोक्त अपीलाधीन आदेश से रास्ता दिखाया गया है वहाँ मौके पर कोई रास्ता नही है। उपरोक्त तथ्य को नजरअंदाज कर व तहसीलदार द्वारा बनाई गई गलत रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया है जो प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलार्थी की भूमि में से जो रास्ता तहसीलदार की रिपोर्ट में दर्शाया गया है उस रास्ते का कोई वजूद नही है। इसके बावजूद हल्का पटवारी व तहसीलदार की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर उपरोक्त रास्ता कायम कर दिया गया है ज़ो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा (राज०) ने अपने आदेश में राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का अंकन करते हुए उसके अनुसार निर्णय पारित किया है, जबकि राज्य सरकार के उक्त परिपत्र में कही भी यह अंकन नही है, कि प्रभावित खातेदार को बिना सुने तथा मौके पर बिना कोई रास्ता पूर्व में प्रचलित हुए बिना नया रास्ता कायम करने का कोई प्रावधान हो। उसके बावजूद राज्य सरकार के उपरोक्त परिपत्र में अंकित तथ्यों व कानूनी स्थिति को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया है कि अपीलार्थी की उपरोक्त भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी ने उक्त तथ्यों को पूर्णतया नजरअंदाज करते हुए अपीलार्थी की भूमि में से एक नया रास्ता कायम करने के आदेश पारित कर दिये है जो पूर्णता औचित्यहीन है जिसका केवल मात्र उद्देश्य अपीलार्थी की भूमि में से रंजिशवश प्रभावशाली व्यक्तियों के प्रभाव में आकर अपीलार्थी की खातेदारी समाप्त करना है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि अपीलार्थीगण की उपरोक्त भूमि खसरा नं0 107, 110 व 116 के बीचों बीच में से रास्ता कायम किया तथा अपीलार्थी की भूमि को तीन भागों में विभाजित कर दिया है जो एक खातेदार की खातेदारी अधिकारों के पूर्णतया विपरीत है तथा मौके पर उक्त रास्ते का कभी कोई वजूद नही रहा अन्य पड़ोसी खातेदार व अपीलार्थी स्वयं भी अपीलार्थी की भूमि में अन्य रास्ते का उपयोग उपभोग करते है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर नही दिया तथा मनमाने तरीके से बिना कोई रास्ता हुए अपीलार्थी की भूमि में से जबरन रास्ता कायम करने के अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया है कि उनके समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य नही था जिससे लेशमात्र से भी यह प्रमाणित हो कि मौके पर पूर्व से कोई प्रचलित रास्ता रहा हो या वर्तमान में कोई रास्ता आवागमन के रूप में काम में आ रहा हो। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से नया रास्ता कायम कर अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी की खातेदारी भूमि में से रास्ता कायम करने के आदेश पारित किये है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का कोई अवलोकन नहीं किया जिसमे दिनांक 15.12.2016 के बाद उक्त परिपत्र के आधार पर किसी तरह का कोई रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं है तथा उसमें यह भी स्पष्ट रूप से प्रावधान है, कि अन्य खातेदार को किसी खेत में से होकर नया रास्ता कायम करवाना हो तो उसके द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (ए) के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विधि अनुसार सुनवाई की जाकर उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णय पारित किया जायेगा। उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है इसलिये निर्णय निरस्तनीय है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि उक्त अधिसूचना दिनांक 10.08.2016 में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान है कि भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58 (ए) के तहत कोई रिपोर्ट तैयार की जा रही है, तो उसकी प्रति संबंधित खातेदार को दी जावेगी तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान कर ही कोई निर्णय पारित किया जा सकता है। लेकिन मौजूदा प्रकरण में हल्का पटवारी, तहसीलदार बिसाउ (राज०) व उपखण्ड अधिकारी मण्डावा (राज०) द्वारा उपरोक्त

विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसलिये निर्णय निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त अपीलाधीन आदेश में कही यह अंकन नही किया कि उक्त खसरा नम्बरों में जो रास्ता कायम किया जा रहा है उसकी चौडाई कितनी होगी तथा उसकी लम्बाई कितनी होगी तथा प्रभावित, खातेदार की भूमि में उसके खातेदारी अधिकार प्रभावित किये जा रहे है जबकि मौजूदा प्रकरण मे रास्ते की चौडाई काफी अधिक निर्धारित की गई है जो कतई विधिसम्मत नही है इसके बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी को उपरोक्त आदेश की पूर्व में कोई जानकारी नही थी दिनांक 21.08.2025 को ई–मित्र से जमाबंदी की नकल प्राप्त की तथा हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो हल्का पटवारी ने बताया कि अपीलार्थी की उपरोक्त भूमि में से उपखण्ड अधिकारी मण्डावा द्वारा रास्ता कायम किया गया। तत्पश्चात बिना किसी देरी के अपीलाधीन आदेश व उसके संपूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त करे बिना किसी देरी के माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अविवेचनापूर्ण निर्णय पारित किया गया है जो प्रथमदृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 03.07.2025 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं दिनांक 03.07.2025, प्रकरण संख्या 99/2025 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार बिसाउ द्वारा दिनांक 30.06.2025 को पटवार मण्डल दिलोई के राजस्व ग्राम दिलोई का प्रचलित एवं डोटेड रास्ता जो खसरा नम्बर 116, 110, 107, 134, 105, 134/348, 106, 97, 59, 60, 51, 52, 55, 56, 57, 68 में स्थित है। यह रास्ता ग्राम दिलोई में आबादी भूमि से पूरीयान की सीमा तक जाता है। इस रास्ते को सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि में रास्ते हेतु उपयोग में आ रही भूमि को राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा सहित रिपोर्ट मय प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तथा राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांकः प.(3) राज–6/पार्ट/04 जयपुर दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

10.08.2016 एवं राजस्थान सरकार के जारी परिपत्र क्रमांकः राजस्व (ग्रुप) 4 (10) राज–6/2024/08 जयपुर दिनांक 04.04.2025 की पालना में तहसीलदार बिसाउ जिला झुन्झुनूं के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 30.06.2025 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिसाउ को आदेशित किया गया कि वे पटवार मण्डल दिलोई के राजस्व ग्राम दिलोई के खसरा नम्बर 116 रकबा 0.03 है0, 110 रकबा 0.005 है0, 107 रकबा 0.07 है0, 134 रकबा 0.005 है0, 105 रकबा 0.03 है0, 134/348 रकबा 0.015 है0, 106 रकबा 0.05 है0, 97 रकबा 0.05 है0, 59 रकबा 0.03 है0, 60 रकबा 0.05 है0, 51 रकबा 0.02 है0, 52 रकबा 0.11 है0, 55 रकबा 0.01 है0, 56 रकबा 0.005 है0, 57 रकबा 0.05 है0, 68 रकबा 0.17 है0 में वर्णित भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद न होने एवं किसी प्रकार का अतिक्रमण हो तो उसे हटवाकर किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज करें। पटवारी हल्का रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा। उपरोक्त भूमि की खातेदारी पूर्ववत्त खातेदारों के ही नाम रहेगी। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2025 पारित किये गये।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2025 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2025 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2025 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.07.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 28.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर